2.1.23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 रा.का.अधि. सायलान स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख.नं. 10 रकबा 0.0885, 11 रकबा 0.5564, 12 रकबा 1.4638, 13 रकबा 0.8220 जो कि ग्राम सागौर आ.ख.नं. 602 रकबा 2.5299 हैक्टे. वाके ग्राम उमरेह तह. बाड़ी में गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे सायलान को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें। विवादित आराजी को कहीं रहन बय मुन्तकिल नहीं करें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें तथा का3022 बनाम गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल रहे।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राधेश्याम मीणा (आर0ए0एस0)

उनवान

रामसहाय

बनाम

गुलाबबाई

1. रामसहाय उम्र 40 वर्ष पुत्र रामबाबू जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी
2. मुन्नीदेवी उम्र 45 वर्ष पत्नी स्व0 राकेश जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी
3. पंकज उम्र 25 वर्ष पुत्र राकेश जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी
4. कामेश उम्र 8 वर्ष नाबालिग पुत्र राकेश वसरपरस्ती माँ मुन्नीदेवी पत्नी राकेश जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी

सायलान :–

बनाम

1. गुलाबबाई पत्नी शिवसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र शिवसिंह
3. रामनाथ पुत्र शिवसिंह
4. लीला पुत्र शिवसिंह
5. वीरसिंह पुत्र शिवसिंह
6. बलराम पुत्र शिवसिंह
7. पानबाई पत्नी भगवानसिंह
8. गौरव पुत्र भगवानसिंह
9. महाराजसिंह पुत्र भगवानसिंह
10. बनिया पुत्र भगवानसिंह
11. जमुना पुत्र भूरा
12. नरेन्द्र पुत्र भूरा
13. पाना पत्नी भंवरसिंह
14. बनैसिंह पुत्र भंवरसिंह
15. महाराजसिंह पुत्र भंवरसिंह
16. नरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह
17. गौरव पुत्र भंवरसिंह
18. शिवराम पुत्र बत्तीलाल
19. रामप्रसाद पुत्र बत्तीलाल
20. अंगूरी पत्नी ल्होरे
21. बन्टू पुत्र ल्होरे
22. समरसिंह पुत्र ल्होरे

जातिगण मीना निवासीगण ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर

गैरसायलान :–

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित सायलान के वकील – श्री संजीव कुमार शर्मा एड0
गैरसायलान के वकील – श्री रामदीश भारद्वाज एड0

प्रा0पत्र सं. 84/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0
दिनांक :– 9.1.2023

निर्णय

सायलान द्वारा उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि :–

विवादित आराजी परिशिष्ठ 'क' ख0नं0 10 रकवा 0.0885, 11 रकवा 0.5564, 12 रकवा 1.4038, 13 रकवा 0.8220 बांके ग्राम सागौर तथा आराजी परिशिष्ठ 'ख' ख0नं0 602 रकवा 0.2529 हैक्टे0 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी परिशिष्ठ 'क' व 'ख' के खातेदार राकेश पुत्र रामबाबू का निधन हो गया हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में मृतक के वारिसान का नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं हो पाया है। मृतक राकेश ने अपनी विरासत में सायल सं0 2 मुन्नीदेवी व दो पुत्र सायल सं0 3 व 4 को छोडा है। मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मृतक का समस्त तर्का विरासतन मृतकके वारिसान पर प्रकान्त हो चुका है। इसी प्रकार परिशिष्ठ 'ख' वाली आराजी के खातेदार भंवरसिंह, मूलो, रामवती, ल्होरे, विशनी, शिवदेई व शिवसिंह का निधन का निधन हो चुका है। मृतक भंवर का समस्त तर्का विरासतन गैर सायल सं0 15 लगा0 19 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक मूलो का समस्त तर्का गैर सायल सं0 20 व 21 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक रामवती का समस्त तर्का गैर सायल सं0 29 व 30 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक ल्होरे का समस्त तर्का गैर सायल सं0 22 लगा0 24 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक विशनी का समस्त तर्का गैर सायल सं0 28 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक शिवदेई का समस्त तर्का गैर सायल सं0 27 पर प्रकान्त हो चुका है। मृतक शिवसिंह का समस्त तर्का गैर सायल सं0 1 लगा0 6 पर प्रकान्त हो चुका है। विवादित आराजी हिन्दू सहदायिगी संयुक्त परिवार की जायदाद है। मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसूचित जनजाति की महिला वारिसान का विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण में मृतक की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है। जिस पर सायलान व गैर सायलान अपने अपने हिस्से के मुताबिक संयुक्तरूप से काश्त करते हुए चले आ रहे है। विवादित आराजी परिशिष्ठ 'क' में सायल सं0 1 हि0 1/8, सायल सं0 2 लगा0 4 हि0 1/8, गैर सायल सं0 1 लगा0 12 व 14 एवं 30 प्रत्येक हि0 1/28 है तथा आराजी परिशिष्ठ 'ख' में सायल सं0 1 हिस्सा 1/27, सायल सं0 2 लगा0 4 हिस्सा 1/27, गैर सायल सं0 1 लगा0 6 हि0 2/27, गैर सायल सं0 13 हिस्सा 2/27, गैर सायल सं0 15 लगा0 19 हि0 2/27, गैर सायल सं0 20 हि0 1/9, गैर सायल सं0 21 हि0 1/9, गैर सायल सं0 22 लगा0 24 हि0 1/9, गैर सायल सं0 25 लगा0 31 प्रत्येक हि0 2/27 है। दिनांक 17.10.2021 को गैर सायलान के साथ साथ सुदामा, बलराम, अंगद, राजकुमार, मनोज, ज्ञानी सभी एकराय होकर अपने हाथों में सरिया, डण्डा, कट्टा व ट्रेक्टर लेकर सायलान के हिस्से में खडी फसल सरसों को जोतकर खुर्दबुर्द कर दिया। सायलान ने फसल को खुर्दबुर्द करने की मना की तो मारपीट कर जबरदस्ती फसल को खुर्दबुर्द कर दिया। सायलान ने उक्त गैर सायलान से विवादित आराजी का बंटवारा करने

Scanned with OKEN Scanner

की कहा तो गैर सायलान ने साफ इंकार कर दिया तथा सायलान को धमकी दी कि आज के बाद उक्त खेतों की तरफ आये तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। हक कोई बंटवारा नहीं करते। हम तुम लोगों को गांव से भगा कर छोडेंगे तथा विवादित आराजी के कब्जे काश्त से बेदखल करेंगे एवं विवादित आराजी को किसी दीगर चलाव वाले व्यक्ति को रहन वय कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट सायल सं0 1 ने जरिये अदालत सदर थाना बाडी में दर्ज कराई है। जो अभी विचाराधीन है। मुताबिक धमकी गैरसायलान ने सायलान को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया अथवा विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय कर दिया तो सायलान को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जे खर्चे से संभव नहीं हो सकेगी। उपरोकत परिस्थितियों में सायलान के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दायर कर अपने हिस्से की आराजी को पृथक करावें तथा गैर सायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करावें कि वे बाद बंटवारा सायलान के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें और ना ही अन्य से करावें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र में सायलान ने निवेदन किया कि :–

प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक इस आशय के साथ पावन्द किया जावे कि वे सायलान को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। विवदित आराजी को कहीं रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैर सायल सं0 11,17,19,20 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष गैर सायलान ने उपस्थित न्यायालय आकर जवाव प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उजरात मजीद व काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि :–

शिजरा फरीकेन अंकित किया। विवादित आराजी परिशिष्ठ 'क' ख0नं0 10 रकवा 0.0885, 11 रकवा 0.5564, 12 रकवा 1.8220, 13 रकवा 0.8220 बांके ग्राम सागौर भूरा ने सवंय अर्जित की है। जिसमें भूरा के वारिसान के अलावा किसी का कोई अधिकार नहीं है तथा आराजी परिशिष्ठ 'ख' ख0नं0 602 रकवा 0.2529 हैक्टे0 बांके ग्राम उमरेह भूरा के हिस्से में बंटवारे में आयी है तथा उक्त आराजी परिशिष्ठ क व ख में वर्णित आराजी पर भूरा के वारिसान शिवसिंह, जमुना, भगवानसिंह, शिवचदेई, विशनी, रामवती, मथुरी सोया काबिज खातेदार काश्तकार हुए तथा शिवसिंह के फौत होने पर उसका हिस्सा वीरसिंह, प्रेमसिंह, रामनाथ, बलराम, गुलाववाई, लीला गैरसायल नं0 1 लगा0 6 व गैर सायल न0 31 सुशीला काबिज खातेदार काश्तकार है तथा भगवानसिंह की मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर उनके वारिसान पानवाई वेवा, गौरव, महाराजसिंह, बनिया, विमलेश, हरबाई गैरसायल नं0 7 लगा0 14 है। शिवदेई फौत हो चुकी है। उसके हिस्से पर उनके वारिसान देवेन्द्रगैरसायल नं0 27 है तथा विशनू की मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर सुल्तान गैरसायल नं0 28 है तथा रामवती की मृत्यु के बाद उसके वारिसान बच्चा, बचनसिंह गैरसायल सं0 29 व 30 है। परिशिष्ठ 'स' में वर्णित आराजी 616 रकवा 0.2529 बांके ग्राम उमरेह व आराजी ख0नं0 1667 रकवा 0.3794,

Scanned with OKEN Scanner

1667/2505 रकवा 0.1518 बांके ग्राम उमरेह व आराजी ख0नं0 1512 रकवा 0.1265, 1528/2472 रकवा 0.2403, 1659 रकवा 0.4553, 1671 रकवा 0.2656, 1687 रकवा 3288 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। उक्त आराजी में कलुआ के हिस्से की आराजी पर उसका भाई अमरचन्द काबिज खातेदार काश्तकार हुआ। क्योंकि कलुआ लाबल्द फौत हुआ है। मुताबिक शिजरा गैंदा के हिस्सा की आराजी पर रामबाबू के नाम हो गयी तथा कलुआ के हिस्से पर सूबे, गैंदा, व भूरा काबिज हुए। चूंकि सूसे के वारिसान बती व गैंदा के वारिसान रामबाबू, भूरा के वारिसान शिवसिंह, जमुना, भगवानसिंह के मध्य दिनांक 23.07.1997 को बंटवारानामा जरिये इकरारनामा हुआ। जिसमें उक्त विवादित आराजी परिशिष्ठ क, ख, स में वर्णित आराजी सूसे के वारिसान का कोई हिस्सा नहीं आया। उसके हिस्से में अन्य आराजी आयी जो इकरारनामा के मुताबिक बांके ग्राम सागौर तह0 बाडी की आराजी ख0नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 67, 68, 71 कुल किता 11 कुल बीघा 24–23 पक्षकार नं0 2 यानि सूसे के वारिसान बतो के वारिसान के हिससे में आई। जिसमें बती के वारिसान को पक्षकार नं0 2 आराजी ख0नं0 1, 2 में से 4 बीघा रकवा की रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के पक्षकार नं0 1 भूरा के वरिसानों के नाम करना तय हुआ। चूंकि उस वक्त बती व भूरा के वारिसानों व गैंदा के वारिसानों के मध्य बंटवारा हुआ था। सहवन से रामबाबू भूरा का पुत्र लिख गया। जबकि रामबाबू गैंदा का पुत्र था। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र साबित है। कलुआ के हिस्से की आराजी परिशिष्ठ क, ख, स में वर्णत की गई है उसमें बती के वारिसानों का कोई हक व अधिकार नहीं था यानि कलुआ के समस्त हिस्सा की आराजी का तन्हा काबिज खातेदार मुताबिक बंटवारानामा के भूरा के वारिसान है तथा जरिये काउण्टर क्लेम गैरसायल कलुआ के हिस्से की आराजी पर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तहक है। परिशिष्ठ क, ख में वर्णित आराजी के काबिज खातेदार भूरा था तथा जो गलत नामान्तकरण कर गैंदा के वारिसान रामबाबू व उसके वारिसानों ने अपने नाम करा ली है। जिसे गैरसायलान जरिये काउण्टर क्लेम इन्द्राज दुरूस्त कराकर अपने नाम घोषित करा पाने के मुश्तहक है तथ परिशिष्ठ स में वर्णित आराजी में जो गैंदा के हिस्सा में थी यानि रामबाबू के हिस्सा में थी उसका नामान्तकरण सायलान के नाम हो गया है। उनका नाम यथावत रखा जावे। सायलानों के उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से उनके मन में बेईमानी व बदनीयती आ गई है। इसलिए सायलान नामान्तकरण जो सायलान के पूर्वज रामबाबू ने गैंदा के हिस्सा पर करा लिया है। अब प्रार्थना पत्र पेश कर भूरा के हिस्सा में आई आराजी में हिस्सा लेना चाहता है। सायलान के उक्त कृत्य से गैरसायलानों को लाजिम हो गया है कि वह सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे कि सायलान गैरसायलान के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी व कलुआ के हिस्से की आराजी पर किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा नहीं करें।

गैरसालान ने काउण्टर क्लेम में प्रार्थना की है कि :–

प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे तथा गैरसालान का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर गैरसालान के काउण्टर क्लेम के मुताबिक आदेश दिये जावे कि विवादित आराजी परिशिष्ठ क, ख व स में वर्णित आराजी कलुआ के हिस्से में आयी आराजी पर सायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि सायलान गैरसायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा नहीं करें। ना ही अन्य से करावें।

सायलान ने काउण्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया कि :–

Scanned with OKEN Scanner

काउण्टर क्लेम में अंकित शिजरा स्वीकार नहीं है। उक्त शिजरा में रामबाबू को गैंदा का पुत्र दर्शाया गया है। जबकि रामबाबू भूरा का पुत्र है। शिजरा अंकित किया। यह स्वीकार नहीं की भूरा की स्वअर्जित जायदाद में वादीगण का कोई अधिकार नहीं हो। बल्कि भूरा के निधन के बाद विवादित आराजी परिशिष्ठ क में वादीगण 1/9 भाग के खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार परिशिष्ठ ख की आराजी में वादीगण 1/9 भाग के खातेदार है। पिता की सम्पत्ति में सभी वारिसान को समान हक जन्म से प्राप्त होता है। यह गलत है कि विवादित आराजी में भूरा के वारिसान शिवसिंह, जमुना, भगवानसिंह, शिवदेई, विशनी, रामवती, मथुरो व शिया काबिज हो। बल्कि भूरा के 4 पुत्र शिवसिंह, जमुना, रामबाबू, भगवानसिंह है व 5 पुत्रियां शिवदेई, विशनी, रामवती, मथुरो व शिया है। भूरा की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मृतक के सभी वारिसान पर समान रूप से बहिस्सा बराबर बराबर प्रकान्त हुई है। मद सं0 3 में वर्णित आराजी अजयचन्द व कलुआ के लाऔलाद फौत होने के कारण सम्पूर्ण आराजी अमरचन्द पर प्रकान्त हुई। अमरचन्द की मृत्यु के बाद विवादित आराजी अमरचन्द के वारिसान किशनसिंह, सूसे, ग्यासिया, गैंदा व भूरा पर बहिस्सा बराबर बराबर प्रकान्त हुई। तत्पश्चात किशनसिंह, ग्यासिया का निधन लाऔलाद हो गया तथा भूरा का निधन हो गया। उसके बाद किशनसिंह व ग्यासिया की सम्पूर्ण आराजी एकमात्र जीवित भाई गैंदा पर प्रकान्त हुई। मृतक गैंदा ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से प्राप्त अपनी विवादित आराजी के साथ साथ अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 27.12.1990 को अपने भतीजे रामबाबू के हक में गवाहान की मौजूदगी में निष्पादित कर पंजीकृत कराई। इसके बाद गैंदा का निधन हो गया। इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण के पिता रामबाबू पर गैंदा की आराजी जरिये वसीयत प्राप्त हो गयी व भूरा के मरने के बाद भूरा के हिस्से की आराजी वादीगण के पिता रामबाबू पर मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रकान्त हुई। मृतक भूरा से प्राप्त आराजी में वादीगण 1/9 भाग के खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है। प्रति0 का मद सं0 3 में वर्णित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त सम्पूर्ण आराजी मृतक गैंदा की खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वह जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त करते रहे। तत्पश्चात जरिये वसीयत तारीख 27.12.1990 को वादीगण के पिता रामबाबू के नाम कर गये। इस प्रकार इस मद में वर्णित आराजी के तन्हा खातेदार वादीगण के पिता स्व0 रामबाबू रहे। रामबाबू के निधन के बाद मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मृतक के वारिसान वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज है। प्रति0 काउण्ट क्लेमकर्ता का इस आराजी में कोई हक व अधिकार हांसिल नहीं है। राजस्व रिकार्ड में पूर्व में जो भी इन्द्राजात है वह विधि अनुकूल व सही है। जिन्हें गलत ठहराने का प्रति0 को कोई अधिकार हांसिल नहीं है। गैंदा की आराजी पिता वादीगण रामबाबू पर जरिये वसीयत प्रकान्त हुई है। मुताबिक वसीयत ही विधिवत दाखिला खारिज की कार्यवाही हुई है तथा भूरा की आराजी में वादीगण को विरासतन जन्म से अधिकार प्राप्त है। इस मद में वांछित अनुतोष काउण्टर क्लेमकर्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः काउण्टर क्लेम प्रति0 मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

तत्पश्चात बहस फरीकेन योग्य वकीलों की समाअत की गई। सायलन के वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा

Scanned with OKEN Scanner

खिलाफ गैरसायलान जारी करने व काउण्टर क्लेम गैरसायलान खारिज करने का निवेदन किया। गैर सायलान के वकील ने अपनी बहस में जवाव मय काउण्टर क्लेम में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए प्रार्थना पत्र सायलान खारिज करने तथा काउण्टर क्लेम स्वीकार कर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया।

हमने योग्य वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना आवश्यक है –

1. प्रथम दृष्टया मामला :–

सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी में सायलान मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। जबकि गैरसायलान द्वारा जबाव प्रार्थना मय काउण्ट क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया है कि सायलान के पिता रामबाबू का नाम गलत रूप से विवादित आराजी परिशिष्ठं क, ख में अंकित हो गया है। जबकि सायलान के पिता रामबाबू मृतक गैंदा का पुत्र है। मृतक रामबाबू को गैंदा के हिस्से की परिशिष्ठ स की आराजी में प्राप्त हुई है। जो सही है। इस सम्बन्ध में सायलान का कथन है कि मृतक गैंदा लाऔलाद फौत हुआ। उसके द्वारा सायलान के पिता रामबाबू का जरिये वसीयत अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति दी है। जिसके आधार पर सायलान का नाम परिशिष्ठ स में अंकित हुआ है। मृतक रामबाबू भूरा का पुत्र है। सायलान मृतक रामबाबू के जायज वारिसान है। जिनका मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायलान को प्राप्त हिस्से की आराजी में खडी फसल को नष्ट कर रहे है तथा विवादित आराजी से बेदखल कर दीगर जगह रहन वय करने की धमकी दे रहे है। जबकि गैरसायलान का कथन है कि परिशिष्ठ क व ख की आराजी रामबाबू के वारिसानों के नाम होने से उनको कोई स्वामित्व मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त कथन के सन्दर्भ में गैरसायल द्वारा न्यायिक दृष्टान्त DNS 2019 P 131, RLR 1990 P 657, DNs 2021 P 708, DNS 2022 P 235 प्रस्तुत की है। मेरी राय में जब तक प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारों के हकूकों की सुरक्षा होना जरूरी है। उक्त वाद में गैरसायलान के विरुद्ध प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में कोई भी घोषणा नहीं चाही गई है। बल्कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर बंटवारा चाहा गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस वाद पर चस्पा नहीं होते है। वर्तमान में सायलान प्रश्नगत आराजी में सह खातेदार की हैसियत से उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :–

बिन्दु संख्या 1 में प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। सायलान का प्रश्नगत आराजी में सहखातेदार होने के कारण उसका प्रश्नगत आराजी पर हक बनता है। ऐसी स्थिति में अगर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को बहुत असुविधा होगी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से गैरसायल को कोई असुविधा नहीं होना प्रतीत होता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ही प्रतीत होती है।

Scanned with OKEN Scanner

अपरिमित क्षति :–

बिन्दु सं0 1 प्रथम दृष्टया मामला एवं बिन्दु संख्या 2 सुविधा का सन्तुलन लान के पक्ष में निर्णीत किये जा चुके है। इसके अलावा अगर गैर सायलान को अस्थाई ग्राज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को अपरिमित क्षति होने की पूरी पूरी वना है। क्योंकि वह विवादित आराजी पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हक रखते इसके विपरीत अगर गैर सायलान के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो ो भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः अपरिमित क्षति सायलान को होना ारह से साबित होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया ा है तथा गैरसायलान का काउण्टर क्लेम अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 रा0का0अधि0 सायलान स्वीकार किया कर प्रश्नगत आराजी परिशिष्ठ 'क' ख0नं0 10 रकवा 0.0885, 11 रकवा 0.5564, 12 रकवा .4038, 13 रकवा 0.8220 बांके ग्राम सागौर तथा आराजी परिशिष्ठ 'ख' ख0नं0 602 रकवा 0. 2529 हैक्टे0 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पावन्द किया जाता है कि वे सायलान को विवादित आराजी ल दखल नहीं करें। विवदित आराजी को कहीं रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा काउण्टर क्लेम गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमीलन मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाडी
बाड़ी (धौलपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner